न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :— बनाम प्रतिवादगण :—

दुलाराम पुत्र लादूराम जाट
सा. पांचौता तह. नांवा

1. सांवला पुत्र बलदेव कुम्हार सा. दानपुरा
2. मेवाराम पुत्र गंगाराम जाट सा. बीजापुरा
3. प्रहलाद पुत्र गंगाराम जाट सा. बीजापुरा
4. गलकु पत्नी शिवदान जाट सा. बीजापुरा
5. नरसी पुत्र शिवदान जाट सा. बीजापुरा
6. महेश पुत्र शिवदान जाट सा. बीजापुरा
7. सिणगारी पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
8. मैना पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
9. रामादेवी पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
10. बरजीदेवी पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
11. बसु पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
12. सुवाराम पुत्र लिखमाराम जाट सा. बीजापुरा
13. गंगादेवी पत्नी जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
14. श्रीपाल पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
15. [illegible] पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
16. सांवर पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
17. सन्तोष पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
18. छोटीदेवी पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
19. नानीदेवी पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
20. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे शाखा मारोठ
21. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :— खातेदारी अधिकारो का विभाजन।

उपस्थित :— श्री बजरंगलाल वकील वादी।

मुकदमां नम्बर :—14/2017 निर्णय दिनांक 30.03.2017

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पांचौता के खसरा नम्बर 734 रकबा 2.29 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसके दक्षिणी तरफ वादी दूलाराम की कब्जा व खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 794 स्थित हैं। वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 794 के चारो तरफ मौके पर कोई रास्ता नहीं था तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 734 जो कटाणी मार्ग से लगती हुई हैं, प्रतिवादीगण ने उक्त अपनी खातेदारी सुदा भूमि का मौके पर विधिवत रूप

से बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हैं माफिक भौतिक बंटवारे प्रतिवादी 13 से 19 के पिता /पति जीवणराम पुत्र तेजा के हक हिस्से में से 244 वर्ग मीटर अर्थात 0.0244 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 04.05.1998 को वादी ने खरीद कर खसरा नम्बर 734 की पश्चिमी सीमा के पास पास उत्तर से दक्षिण लम्बाई में कब्जा प्राप्त किया तब से आज दिनांक तक उक्त खरीद सुदा भूमि रकबा 0.0244 हैक्टयर भूमि पर वादी काबिज हैं तथा उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जिससे प्रतिवादीगण वादी को आऐ दिन हैरान व परेशन करते हैं तथा बेदखल करने की धमकिया देते हैं जिसके चलते मजबुरन वादी को यह वाद पेश करना पड़ रहा है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम पांचौता के खसरा नम्बर 734 रकबा 2.29 हैक्टयर भूमि में पश्चिमी सीमा के पास पास उत्तर से दक्षिण में 0.0244 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 19 व 21 के सम्मन दिनांक 14.03.2017 को तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद बार बार अवाज लगाऐ जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी 20 का सम्मन दिनांक 22.03.2017 को तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात साक्ष्य वादी में वादी स्वंय व गवाह गंगाराम व हनुमानाराम के शपथ पत्र पेश किऐ ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 734 रकबा 2.29 हैक्टयर भूमि सांवला पुत्र बलदेव, शिवदान पुत्र लिखमा, जीवण पुत्र तेजाराम, मेवाराम प्रहलाद पि. गंगाराम, सुवाराम पुत्र लिखमाराम जाट सा. बीजापुरा तथा जीवन पुत्र तेजा के हिस्से में से 244 वर्ग मीटर भूमि विक्रय से वादी दुलाराम पुत्र लादूराम जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबन्दी के अनुसार वादी ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 734 रकबा 2.29 हैक्टयर भूमि में 0.0244 हैक्टयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो वादी ने उक्त भूमि के खातेदार जीवण पुत्र तेजाराम जो प्रतिवादी 13 से 19 का पिता /पति हैं के हक हिस्से में से खरीद कर काबिज काश्त हैं जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि का विधिव रूप से बंटवारा नहीं हुआ हैं वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं, वादी अपनी खरीद सुदा भूमि का उपयोग उपभोग अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 794 में कृषि कार्य हेतु आने जाने के उपयोग में कर रहा हैं, भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी की खरीद सुदा भूमि में किसी ना किसी प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादीगण के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील सुदा

30/3/17
अधिकारी

प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं जिससे वादी के वाद बाबत प्रतिवादीगण को भी कोई आपत्ति या उज्र होना प्रतीत नहीं होता हैं वादी को अपने हक हिस्से व खातेदारी भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने का कानूनी रूप से भी पूर्ण अधिकार हैं, वादी द्वारा भूमि जीवणराम पुत्र तेजाराम से खरीद करना व खरीद सुदा भूमि पर खरीद के दिन से काबिज होने की पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने भी की हैं जिससे वादी का वाद साबित होता हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 734 रकबा 2.29 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 13 से 19 के पिता/पति जीवणराम पुत्र तेजाराम के हक हिस्से में दर्ज भूमि में से वादी वादी के नाम खातेदारी में सुदा भूमि रकबा 0.0244 हैक्टयर जो पश्चिमी सीमा के पास–पास उत्तरे से दक्षिण लम्बाई में वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हक हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम करते हुऐ नक्शा ट्रेस में तरमीम किऐ जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प डुयुटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नावा
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी नांवा, जिला नागौर, राज.

अज अदालत :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–
दुलाराम पुत्र लादूराम जाट
सा. पांचौता तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादगण :–
1. सांवला पुत्र बलदेव कुम्हार सा. दानपुरा
2. मेवाराम पुत्र गंगाराम जाट सा. बीजापुरा
3. प्रहलाद पुत्र गंगाराम जाट सा. बीजापुरा
4. गलकु पत्नी शिवदान जाट सा. बीजापुरा
5. नरसी पुत्र शिवदान जाट सा. बीजापुरा
6. महेश पुत्र शिवदान जाट सा. बीजापुरा
7. सिणगारी पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
8. मैना पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
9. रामादेवी पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
10. बरजीदेवी पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
11. बसु पुत्री शिवदान जाट सा. बीजापुरा
12. सुवाराम पुत्र लिखमाराम जाट सा. बीजापुरा
13. गंगादेवी पत्नी जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
14. श्रीपाल पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
15. [illegible] पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
16. सांवर पुत्र जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
17. सन्तोष पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
18. छोटीदेवी पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
19. नानीदेवी पुत्री जीवणराम जाट सा. बीजापुरा
20. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे शाखा मारोठ
21. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा
मुकदमां नम्बर :– 14/2017

निर्णय दिनांक :– 30.03.2017

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी श्री बजरंगलाल वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू......मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 734 रकबा 2.29 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 13 से 19 के पिता/पति जीवणराम पुत्र तेजाराम के हक हिस्से में दर्ज भूमि में से वादी वादी के नाम खातेदारी में सुदा भूमि रकबा 0.0244 हैक्टयर जो पश्चिमी सीमा के पास–पास उत्तरे से दक्षिण लम्बाई में वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हक हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम करते हुऐ नक्शा ट्रेस में तरमीम किऐ जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.04.2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नांवा (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा			स्टम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान					